# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

"प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023"

पीठासीन अधिकारी– अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 149 / 2022 | 01.12.2022 | 25.05.2023 |

अनवान

1. सोहनलाल पिता उदा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. हर लाल पिता डूंगा जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा, चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. भंवरलाल पिता डूंगा जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा, चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. जगनाथ पिता डूंगा जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा, चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. माना पिता डूंगा जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा, चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. बद्रीलाल पिता डूंगा जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा, चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. रतनलाल पिता मिठू जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा, चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. नारायण लाल पिता तुलछा जाति चमार आयु वयस्क निवासी कीरखेडा, चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. अम्बा लाल पिता तुलछा जाति चमार आयु वयस्क निवासी कीरखेडा, चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. किशनलाल पिता नन्दा जाति कीर आयु वयस्क निवासी दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
10. कैलाश पिता नन्दा जाति कीर आयु वयस्क निवासी दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:17:08 IST
Reason: Self Attested

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 [illegible] अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र चाकुडा में पेश हुई। हाजिर वकील प्रार्थी ने बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थी ने बताया की मामला

पत्थरगढ़ी का है, जिसमें प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, प्रार्थी ने बताया कि मौजा कीरखेडा पटवार हल्का चाकुडा तहसील कपासन में स्थित आराजी संख्या 517 रकबा 0.47 है0, आराजी संख्या 518 रकबा 1.00 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.47 है0 कृषि भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है, प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074 – 2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के खाता संख्या 136 में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा कीरखेडा पटवार हल्का चाकुडा तहसील कपासन के जमाबन्दी संवंत् 2074–2077 के खाता संख्या 136 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 517 रकबा 0.47 है0, आराजी संख्या 518 रकबा 1.00 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.47 है0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:17:08 IST
Reason: SelfAttested